अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24/2023	13/05/2023	16/5/23

बउनवान

1. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0
2. महावीर पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0
3. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0
4. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0
5. त्रिभुवन पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. नाथुलाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. अंशु पुत्री श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा –88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है की ग्राम श्रीपुरा पटवार हलका ढीबरीचम्बल की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 20 में खसरा संख्या 142 रकबा 1.03है0, खसरा संख्या 42 रकबा 2.28है0, खसरा संख्या 47 रकबा 0.66है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.97है0 भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का ढीबरीचम्बल की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 37 में खसरा संख्या 109 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 111 रकबा 0.52है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.62है0, भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हलका ढीबरीचम्बल की जमावन्दी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 59 रकबा 1.57है0, खसरा संख्या 60 रकबा 0.84है0, खसरा संख्या 61 रकवा 0.77है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.18है0, भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित उत्पन्न हो गया है व वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने निहित 1/6 – 1/6 हिस्से की भूमि पर खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादीगण वाद पत्र में वर्णितानुसार 1.1 मद में वर्णित भूमि को धारित किये हुए है एवं प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद क्रम 1.2 एवं 1.3 में वर्णित भूमि को पारिवारिक सहमति से धारित किये हुए है एवं तद्नुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन एवं अमलदरामद हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय की सेवा प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार षास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित होते है, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादीगण के मुकाबले (विरूद्ध) प्रतिवादी क्रम 2 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है, क्योंकि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्रापत नहीं होता है। उन्हें केवल मात्र प्रतिवादी क्रम 1 की संतान होने के कारण ज्ञान की दृष्टि से प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वे किसी भी प्रकार अनुतोष हेतु योग्य नहीं होने से उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नहीं है।

यह कि वादीगण अपने निहित हिस्से के अनुरूप ही विवादित भूमि पर षांतिपूर्वक काबिज काष्त है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादीगण को भू–सुधार एवं कृशि विकास हेतु, कृशि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से नाथुलाल के निहित हिस्से वाद पत्र की मद क्रम 1 में वर्णित भूमि में स्वयं के 1/5 – 1/5 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक् से विभाजन करवायें। तदर्थ वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण द्वारा उनके निहित हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया गया इसलिए वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी, क्रम संख्या 4 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पलना आवश्यक हैं किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को विवादित भूमि पर कृषि कार्य करने मे लगातार बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने पर आमादा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जा रहा है। प्रतिवादी कम संख्या 3 तहसीलदार पीपल्दा के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दीवानी प्रकिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण माह फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में वादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी कम 1 से निवेदन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगणों को वाद पत्र की मद कम 1.1 की भूमि में 1/5 –1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोशित किया जाकर तद्नुसार भूमि को विधिवत् विभाजित किया जावे। जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लठ्ठा में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे एवं प्रतिवादीकम 1 की शेष भूमि वाद पत्र में वर्णित भूमि मद कम 1.2 व 1.3 का खातेदार प्रतिवादीकम 1 के ही रिकॉर्ड में सुनिष्चित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर लोकभावना अनुसार आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र मीना द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण की पहचान की गई। प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 लोक न्यायालय की भावना एवं आपसी समझाइश से निम्न प्रकार से राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 1.1, 1.2, 1.3 का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1.1 में वर्णित भूमि वादीगणों के हिस्से में निम्नानुसार प्राप्त हुई है जिसका विभाजन निम्न प्रकार से कर दिया जावेः–

1– कृष्णमुरारी पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 142 रकबा 1.03है0 भूमि।
2– महावीर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 47 रकबा 0.66है0 भूमि।
3– भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से मध्य की 0.76है0 भूमि
4– पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पश्चिम की 0.76 है0 भूमि।
5– त्रिभुवन पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पूर्व दिशा की 0.76है0 भूमि

वाद पत्र की मद कम 1.2 व 1.3 में वर्णित भूमि का खातेदार प्रतिवादी कम 1 पूर्व के अनुसार ही रहेगा।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान कर राजीनामा बाद स्वीकार शा0फा0 किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रकरण में वादी वकील द्वारा दोराने बहस निवेदन किया की वाद एवं राजीनामा में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद का निर्णय एवं इसी प्रकार डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विवादित आराजीयात् का विभाजन किया जाता है।

1— कृष्णमुरारी पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि— ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 142 रकबा 1.03है0 भूमि।

2— महावीर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि— ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 47 रकबा 0.66है0 भूमि।

3— भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि— ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से मध्य की 0.76है0 भूमि

4— पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि— ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पष्चिम की 0.76 है0 भूमि।

5— त्रिभुवन पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि— ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पूर्व दिषा की 0.76है0 भूमि

वाद पत्र की मद कम 1.2 व 1.3 में वर्णित भूमि का खातेदार प्रतिवादी कम 1 पूर्व के अनुसार ही रहेगा।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय दिनांक 16/05/23 को सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर इटावा
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्राई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1– कृष्णमुरारी पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

2– महावीर पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

3– भवानीशंकर पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

4– पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

5– त्रिभुवन पुत्र श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1– नाथुलाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

2– अंशु पुत्री श्री नाथुलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा –88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेष होकर हुक्त दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विवादित आराजीयात् का विभाजन किया जाता है।

1– कृष्णमुरारी पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 142 रकबा 1.03है0 भूमि।

2– महावीर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 47 रकबा 0.66है0 भूमि।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

3– भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से मध्य की 0.76है0 भूमि

4– पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पष्चिम की 0.76 है0 भूमि।

5– त्रिभुवन पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन में प्राप्त भूमि– ग्राम श्रीपुरा की ख0सं0 42 रकबा 2.28है0 भूमि में से पूर्व दिशा की 0.76है0 भूमि

वाद पत्र की मद कम 1.2 व 1.3 में वर्णित भूमि का खातेदार प्रतिवादी कम 1 पूर्व के अनुसार ही रहेगा।

मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज ....16/5/23.......... को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा
इटावा